

# छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल

नोट : मूल परिचय-पत्र देखने के बाद ही आवेदन पंजीबद्ध किया जावे

मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना 2012 के अंतर्गत  
आवेदन सह आदेश-पत्र

1. पंजीयन क्रमांक .....
2. आवेदिका का नाम .....
3. वैयक्तिक पहचान-पत्र (आधार नंबर  
/बी0पी0एल0कार्ड/राशन कार्ड का नंबर) .....
4. पिता का नाम .....
5. आवेदिका की आयु .....
6. आवेदिका का व्यवसाय .....
7. आवेदक की वार्षिक आय (वार्षिक आय रुपये 50  
हजार से अधिक न हो) .....
8. पत्र व्यवहार का पता .....
9. घोषणा : मैं सत्यनिष्ठा से वचन करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है। असत्य पाये जाने की दशा में रिक्शा-सायकल वापस करने का वचन देती हूँ।

आवेदिका के हस्ताक्षर

आदेश

जांचोपरान्त उपरोक्त विवरण सही पाए जाने/सही न पाए जाने के कारण आवेदन स्वीकृति/अस्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति की दशा में योजना का नाम ..... के अंतर्गत रिक्शा-सायकल दिनांक ..... द्वारा श्री ..... को वितरित किया गया।

स्वीकृतकर्ता के हस्ताक्षर  
नाम  
पदनाम

स्थान :  
दिनांक :

पावती

रिक्शा-सायकल..... प्राप्त किए गए।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
पूरा नाम  
पता

दिनांक :

स्वीकृतकर्ता अधिकारी कृपया ध्यान दें :-

1. महिला श्रमिक स्वयं आवेदिका होने पर परिचय पत्र का पंजीयन क्रमांक अंकित करें।
2. परिचय-पत्र की छायाप्रति के आधार पर आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाये। मूल परिचय-पत्र देखकर सिलाई मशीन का इन्द्राजकर लौटा दिया जाना चाहिए तथा परिचय पत्र में छायाप्रति की मांग नहीं की जानी चाहिए। आवेदक द्वारा दर्शाए विवरण की स्थल जांच कर पुष्टि हो जाने के पश्चात् ही सहायता राशि स्वीकृत की जाए।
3. आवेदक की वार्षिक आय रुपये 50 हजार अथवा उससे कम हो तथा 2.50 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि होने पर योजना का लाभ मिलेगा।